



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2016/फाल्गुन 14, 1937

No. 567]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2016/ PHALGUNA 14, 1937

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय****अधिसूचना**

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2016

**का.आ. 656(अ).**-- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

**प्रारूप अधिसूचना**

कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, जिसे कर्नाटक राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफईई 302 एफडब्ल्यू एल 2011-(iv), तारीख 27 नवंबर, 2011 द्वारा अधिसूचित किया गया था, कर्नाटक के तीन जिलों अर्थात् रामानगर(कनकपुरा तालुक), चमरंज नगर (कोलेगैला तालुक) और मण्डयार (मलावल्ली तालुक) तथा उत्तरी अक्षांश 11°56' 54.38" उत्तर से 12°24' 35.78" उत्तर और पूर्वी देशांतर 77°09' 41.02" पूर्व से 77°46' 39.84" पूर्व के बीच अवस्थित है और 1027.51 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ;

और, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के शुष्क वनों का और मैसूर हाथी रिजर्व का महत्वपूर्ण भाग रूप है जो कि एशियाई हाथियों की प्रचुर सघनताओं का पोषण करता है जिससे कि इस अभयारण्य की पारिस्थितिक महत्ता का पता चलता है;

कावेरी अभयारण्य की दक्षिणी पश्चिमी दिशा में मलाइमहादेशवरा वन्यजीव अभयारण्य तथा इडयाराहल्ली रिजर्व वन के माध्यम से बिलिगिरिगांस्वामी मन्दिर बाघ रिजर्व से जुड़ा हुआ है और उत्तर में, अभयारण्य बन्नरघाटा राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है;

और, अभयारण्य में कुछ बड़े स्तनधारी पाए जाते हैं जिनमें बाघ, जंगली कुत्ता, धारीधार लकड़बग्घा, रीछ, हाथी, गौर, सांभर, शीतल बिज्जू, चौसिंगा, हिरण भी हैं और ऊद बिलाव तथा मगरमच्छ नदी में पाए जाने वाले दो महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजातियां हैं;

और, कावेरी वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में केवल एक ऐसा स्थान है जहां संकटापन्न भूरी विशालकाय गिलहरी पाई जाती है और इसमें चौसिंगा हिरण की भरपूर सघनता है जिसके कारण यह अभयारण्य इन दो प्रजातियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यह अभयारण्य संकटापन्न छली दक्कन महशीर के लिए भी प्रसिद्ध है।

और, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में कावेरी वन्य जीव अभयारण्य की सीमा के इर्द गिर्द 0.10 कि.मी. से 15 कि.मी. तक के विस्तार वाले क्षेत्र को कावेरी वन्य जीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 558.906 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और जिसका विस्तार कावेरी वन्य जीव अभयारण्य 0.10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच है जिसकी सीमाओं का वर्णन **उपाबंध I** में दिया गया है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 107 ( जिनके अंतर्गत 35 अनुलग्नक ग्राम भी हैं) ग्रामों की सूची मुख्य बिंदुओं के निर्देशांकों के साथ **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है।

(3) अक्षांश और देशांतर रेखा के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के ब्यौरे मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन और अभयारण्य सीमा के मुख्य अवस्थान बिंदु (जीपीएस बिंदु) **उपाबंध IIIक** के रूप में संलग्न है।

**2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) नगर विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्को और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 11, 17, 23,28 और सं. 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ बनाना।
- (iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ;
- (iv) वर्षा जल संचयन, और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं :

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों --** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन -** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, कर्नाटक सरकार के वन और पर्यावरण विभाग, के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्यापक संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन,

पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्टों के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) **औद्योगिक इकाइयां** - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

**4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

#### सारणी

| क्रम सं.                       | क्रियाकलाप  | टीका-टिप्पणी  |
|--------------------------------|---|---|
| (1)                            | (2)   | (3)   |
| <b>प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :</b> |   |   |
| (1)                            | वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।   | (क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है;<br>(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के सर्वदा अनुसरण में होंगी। |
| (2)                            | आरा मीलों की स्थापना।   | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।  |
| (3)                            | जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।  | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।  |
| (4)                            | जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।   | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।  |
| (5)                            | नई तापीय और मुख्य जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।   | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।  |
| (6)                            | किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन जिसके अंतर्गत नाशकजीवमार और कीटनाशी भी हैं।   | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।  |
| (7)                            | प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।   | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।  |
| (8)                            | पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।  |
| (9)                            | नए काष्ठ आधारित उद्योग।   | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी;<br>परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रहेगा ;<br>परंतु यह और कि विद्यमान आरा मीलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी पर्यवसान अवधि पर नहीं किया जाएगा।  |

| <b>विनियमित क्रियाकलाप</b> |   |  |
|----------------------------|---|--|
| (10)                       | प्लास्टिक के कैरी बैग, लैमिनेटों और ट्रेट्रापैकों का उपयोग।     | लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। प्लास्टिक की वस्तुओं, लैमिनेटों और ट्रेट्रापैकों का निर्माण सर्वदा विनियमित और मानीटर किया जाएगा।  |
| (11)                       | होटल और रिसोर्ट की स्थापना।                                     | पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए बास सुविधा के सिवाय कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;<br>परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा।  |
| (12)                       | संनिर्माण क्रियाकलाप।   | (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:<br><br>परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी।<br>परंतु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे।<br>इसके अतिरिक्त, पारिस्थितिक संवेदी जोन एक किलोमीटर से आगे और उसके विस्तार तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे। |
| (13)                       | वृक्षों की कटाई।  | (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी।<br>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।<br>(ग) आरक्षित वनों तथा संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना वर्णन का अनुसरण किया जाएगा।  |
| (14)                       | वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।            | (क) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही जल और भू-जल के निष्कर्षण को, भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि उपयोग और घरेलू उपभोग के लिए ही अनुज्ञात किया जाएगा।<br>(ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही जल और भू जल जिसके अंतर्गत वह मात्रा भी है जिसे निष्कर्षित किया जा सकता है, का निष्कर्षण संबद्ध विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा से किया जाएगा।<br>(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा।<br>(घ) किसी स्रोत जल जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।   |
| (15)                       | विद्युत केबलों, पारेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण। | (i) भूमिगत केबल बिछाई को प्रोत्साहित करना।<br>(ii) विद्यमान घरेलू लाइनें-यदि भूमि के ऊपर हैं तो <20 डिग्री ढाल के लिए 20 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए और >30 डिग्री से कम ढाल के लिए यह भूमि से 30 फुट की ऊंचाई पर होगा।<br>(iii) घरेलू प्रयोजन के लिए वैद्युत लाइनों के किसी भावी बिछाई जाने के लिए 11 केवी तक भूमि के नीचे होगा।<br>(iv) 11 केवी से अधिक किसी पारेषण लाइन के लिए, दो टावरों के बीच "सैग" बिंदु भूमि से कम से कम पंद्रह मीटर पर होगा।   |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| (16)                      | होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।  | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।   |
| (17)                      | विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।   | उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय, लागू किए गए अनुसार किए जाएंगे।  |
| (18)                      | रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।   | लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।  |
| (19)                      | विदेशी प्रजातियों को लाना।   | लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।  |
| (20)                      | पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।   | लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।  |
| (21)                      | प्राकृतिक जलाशयों या भू क्षेत्रों में उपचारित बहिःस्रावों का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान।                    | उपचारित बहिःस्रावों के पुनःचक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा और कीचड़ या ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का पालन किया जाएगा।  |
| (22)                      | वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।  | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।   |
| (23)                      | प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।  | पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, कृषि उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा। |
| (24)                      | वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।  | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।   |
| (25)                      | वायु और यानीय प्रदूषण।   | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।   |
| (26)                      | कृषि प्रणाली में भारी परिवर्तन।  | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।   |
| <b>संबंधित क्रियाकलाप</b> |  |  |
| (27)                      | स्थानीय समुदायों द्वारा किए जा रहे कृषि और बागवानी व्यवसायों के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मत्स्य पालन। | लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।   |
| (28)                      | वर्षा जल संचयन।  | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।   |
| (29)                      | जैविक खेती।  | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।   |
| (30)                      | सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।   | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।   |
| (31)                      | कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।  | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।   |
| (32)                      | नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।   | बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।   |

**5. मानीटरी समिति-** (1) केंद्रीय सरकार, कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर- अध्यक्ष ;

(ख) माननीय विधानसभा सदस्य, हनूर निर्वाचन क्षेत्र, चमराजानगर जिला – सदस्य;

(ग) माननीय विधान सभा सदस्य, मालावली निर्वाचन क्षेत्र, रामानगर जिला- सदस्य;

(घ) माननीय विधान सभा सदस्य, कनकपौरा निर्वाचन क्षेत्र, मंडया जिला- सदस्य;

(ङ.) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि-सदस्य

(च) शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि-सदस्य

(छ) कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्रकृति संरक्षण (जिसमें विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि-सदस्य

- (ज) क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर-सदस्य
- (झ) कर्नाटक सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाला कर्नाटक राज्य के किसी ख्याति प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिक में एक विशेषज्ञ - सदस्य
- (ञ) उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, चमरज नगर, मंडया और रामनगर-सदस्य
- (ट) उप वन संरक्षक, कावेरी वन्य जीव अभयारण्य, कोलेगल-सदस्य सचिव ।

## 6. निर्देश का निबंधन

- (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।
- (3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।
- (4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।
- (5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।
- (6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव रक्षक को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।
- (7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।
7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।
8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/160/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'



**कावेरी वन्य जीव अभयारण्य का सीमा वर्णन**

**उत्तर-** पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा कावेरी वन्य जीव अभयारण्य के मांड्या जिला के मालावल्ली तालुक हगदूर ग्राम से और यह बसावानावावेट्टा आरक्षित वन के सीमा ग्राम के साथ आरम्भ होती है । इसके बाद सीमा होसपेटे ग्राम, बसावापुरा ग्राम से होते हुए इसके बाद से मुडकर 209 मीटर की दूरी पर गुंडापुरा ग्राम की सीमा एन एच 100, इसके बाद रेखा एन एच से जाती है । एन एच 209 एन एच मीटरकी दूरी के सामान्त 100 के साथ 209 मीटर तक छूती है रेखा 100 मी सीमा से लगभग की पश्चिम दलावायीकोडीहल्ली 209 तालुक सीमा के साथ मुडकर मालावल्ली की सामान्य गुंडापुरा और दलवायीकोडीहल्ली में गुंडापुरा, दलवायीकोडीहल्ली और नंदीपुरा के त्रि - जंक्शन से मिलती है रेखा नंदीपुरा की उत्तरी सीमा से होते हुए और पूर्वी दिशा में केमपाईआनाडोडुडी से होकर और केमपाईआनाडोडुडी, दलवायीकोडीहल्ली और देवीराहल्ली के त्रि-जंक्शन बिंदु से मिलती है । पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा देवीराहल्ली और दलवायीकोडीहल्ली की सामान्य सीमा से होकर गुजरती है और मालावल्ली तालुक में देवीराहल्ली, दलवायीकोडीहल्ली के त्रि - जंक्शन बिंदु और रामानगर जिला के कनकपुर तालुक में होण्णिगनहल्ली से मिलती है ।

रेखा इसके बाद पूर्वी दिशा में देवीराहल्ली और होण्णिगनहल्ली की सामान्य सीमा से होते हुए और रामानगर जिला के कनकपुर तालुक के कडाहल्ली, होण्णिगनहल्ली और हरिहरा ग्रामो के त्रि - जंक्शन बिन्दु को छूती है ।

पारिस्थितिक संवेदी जोन रेखा के मीटर के साथ और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की 100 वन सीमा से पूर्ण सर्वे संख्या की समांतर दूरी से होते हुए कनकपुर तालुक में हरिहरा (सर्वे संख्या 74, 69, 248, 249, 259, 69, 73, 72, 71, 70, 258, 250, 251), बूहल्ली (सर्वे संख्या 180, 27, 79, 138, 50, 137, 178, 179, 172) और डुंतूर (सर्वे संख्या 176, 177, 86, 190, 15, 193, 192, 198, 199, 175, 174, 172, 219, 173, 218, 217, 216, 178) से होते हुए जाती है । इसके बाद रेखा चिलंदवादी रिजर्व वन की ग्राम सीमा से मीटर की दूरी से होते हुए 100 मुडुडे और चिक्का (सर्वे संख्या 26), नायकनहल्ली (सर्वे संख्या 38, 168, 169, 182, 181, 183), डोड्डा अलहल्ली-(सर्वे संख्या 174, 317, 318, 320, 319, 329, 167, 294, 169, 168, 293, 171, 292, 291, 173, 295, 166, 170, 342, 172), उय्यंबल्ली (सर्वे संख्या 147, 195), हलेगहल्ली (सर्वे संख्या 181, 143), वादके कट्टे, हरोशिवनहल्ली (सर्वे संख्या 31, 102, 42, 103, 104, 41), वेन्नगोडु (सर्वे संख्या 26, 4), पुरुषगोंदनहल्ली (सर्वे संख्या 34, 18, 35, 17, 36, 27, 30), मुल्लाहल्ली ग्राम (सर्वे संख्या 80, 76, 79, 77, 78, 68, 74, 73) में वन सीमा से पूर्ण सर्वे संख्या, नाल्लाहल्ली, मदरहल्ली और गोल्लाहल्ली (सर्वे संख्या 133, 128, 127), अरेकोप्पा (सर्वे संख्या 25, 26, 173, 27, 174, 33, 119, 34, 95, 94, 106, 107, 93, 86, 103, 85, 83, 184, 183, 172, 84, 180, 185) और कोट्टेकोप्पा (सर्वे संख्या 9, 41, 208, 207, 209, 45, 42, 196, 49, 50, 51, 52, 57, 56, 55, 54, 53) ग्रामों और इसके बाद चुन्चीपुर आरक्षित वन सीमा मुगुर आरक्षित वन सीमा की सीमा से, 100 मीटर में मुगुर आरक्षित वन सीमा मिलती है और चवरकल आरक्षित वन सीमा 100 मीटर आवरित करते हुए आरक्षित वन सीमा की ओर हालानाथा (सर्वे संख्या 73, 67, 66, 65, 63, 62, 64, 163, 162), कुडीगलानी (सर्वे संख्या 22, 20, 5, 4, 3, 2, 21), गुदेवीराना होसल्लीबन्नीमकोडलू, (सर्वे संख्या 137, 297, 153, 82, 83, 86, 84, 94, 95, 97, 96, 98, 114, 153, 115, 116, 294, 295, 153, 266, 270, 137, 272, 259, 293, 271, 153, 273, 260, 264, 269, 257, 267, 261, 262, 153, 260, 293, 263, 268, 258, 285, 269, 272, 286), चिक्कामोकोडलू (सर्वे संख्या 97, 11, 96, 12, 71, 13, 16, 19, 17, 18, 67, 68, 70, 69, 70, 80, 81, 72, 73, 78, 74, 77, 75, 76, 99, 98, 100), और हुनासानहल्ली (सर्वे संख्या 8, 12, 15, 2, 17, 14, 13, 18, 9, 10, 11, 19) जाती है और इसके बाद चवराकल आरक्षित वन की उत्तरी सीमा और हुनासामाहली में कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य की अन्तर तालुका के सर्वे संख्या के उल्लिखित राज्य सीमा को छूती है । कनकपुर ग्रामों पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित है जो 100 मीटर के अंतर्गत अभयारण्य की सीमा से दूर है । सर्वे संख्या जो ऊपर सम्मिलित नहीं है लेकिन 100 मीटर के अंतर्गत की दूरी अभयारण्य की सीमा से पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित हैं ।

पारिस्थितिक संवेदी जोन के बसवानाबेटटा आरक्षित वन के निम्नलिखित संलग्न ग्रामों में तलवाडी, बसावेगोवदानादोही, कोनानगुण्डी, बसावानाहल्ली, मुथालाकटटे, सोलावा, दलानाकटटे, द चिलानदावडी बनान्ने और सामबापुरा ग्राम हैं। इसके बाद कुरीमनदे, मुथाथी, सोलीगेरे, बोम्मासानदरा, संगम, चीलानदवडी, वीरासान्दरा, आरक्षित वन के संलग्न ग्रामों में हेग्गानुर हलया और मक्कालानथ ग्राम सम्मिलित हैं। इसके बाद मुगुर आरक्षित वन के संलग्न ग्रामों में मुगुरकोनगावडी और मदीवाला ग्राम सम्मिलित हैं। इसके बाद चवरकल आरक्षित वन के संलग्न ग्राम में होन्नीगानाहल्ली ग्राम सम्मिलित है।

**पूर्व :** कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य की पारिस्थितिक संवेदी जोन की पूर्वी सीमा तमिलनाडु और कर्नाटक की अन्तरराज्य सीमा के साथ होकर जहां अन्तर राज्य सीमा से बिन्दु से आरंभ राज्य सीमा के साथ जाती है फिर रेखा कावेरी नदी—हुनसानाहल्ली समाप्त होती है और अन्तर से मिलती है और दुबारा बिन्दु से शुरू होकर जहां कावेरी नदी पलर नदी से मिलती है। इसके बाद सीमा कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य और मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के साथ दुबारा जाती है।

पारिस्थितिक संवेदी जोन के महादेश्वर आरक्षित वन के निम्नलिखित संलग्न ग्रामों में अर्थात् पदासलनटट्टम, बेज्जालनाई, पंचलहनाई, अलामबदी, होगेन्नकल, गोपीनाथम, नगमलाई, दनताल्ली और इन्दीगनटट्टम ग्राम हैं।

**दक्षिण :** कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा के जंक्शन बिन्दु से आरंभ होकर जहां अन्तरराज्य सीमा में कावेरी नदी पलास से मिलती है। इसके बाद सीमा कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य और मलाई महादेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के साथ दुबारा शुरू होती है। इसके बाद रेखा कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य की दक्षिणी सीमा से मिलकर और अभ्यारण्य की डी रेखा के साथ मुडकर और कुराट्टी होसुर, चन्नारालाहल्ली की ग्राम सीमा से मिलकर और दोद्दालात्तुर, कौदल्ली, बदराययानहल्ली चन्नारालाहल्ली के दक्षिणी सीमा इदयाराहल्ली आरक्षित वन की सीमा छूती है और रामपुरा, अज्जीपुर और चन्नारालाहल्ली के त्रि जंक्शन बिन्दु से मिलती है। कावेरी वन्यजीव- अभ्यारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में अज्जीपुर ग्राम के सर्वे संख्याएं 772, 769, 273, 280, 277, 276, 274, 292, 275, 279, 278, 767, 748, 768, 750, 751, 290, 289, 788, 288, 287, 293, 770, 295, 292, 294, 771, 419, 420, 421, 434, 423, 424, 425, 437, 436, 773, 438, 439, 440, 441, 446, 448, 447 और 449 में सम्मिलित हैं। और अज्जीपुरा के ग्राम थाना सीमाएं और ग्राम पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके बाद चिनागुडाकी सीमा के साथ उत्तरी दिशा में हनुर आरक्षित वन की सीमा के साथ जाती है। इसके बाद रेखा पश्चिमी दिशा में हनुर आरक्षित वन के उत्तरी भाग के साथ मुडकर यह कार्ट टैक जहां टाटेहला उत्तरी और पूर्वी दिशा को छूती हुई जाती है और इसके बाद टाटेहला के साथ यह टाटेहला डोडाहला से मिलती है। रेखा डोडाहला से होते हुए मनगली, चिनचाहली, इसके गुण्डापुरा के साथ पश्चिम की ओर मुडकर और इसके बाद मनगला ग्राम से मिलती है इसके बाद गुण्डापुरा और मनगला की सामान्य सीमा के साथ दक्षिणी दिशा में मुडकर और कुलेगा रामपुरा रोड से 100 मीटर की दूरी छूती है। इसके बाद पारिस्थितिक संवेदी जोन रेखा कोलेगा रामपुरा रोड से 100 मीटर दूरी के साथ यह बिन्दु जहां दोद्दीनदुवडी में सिंचाई चैनल को छूता है। यह चैनल के साथ मुडकर उत्तरी दिशा की ओर जाती है और चिनीदुवडी, सथेगला, उगानियम, पलायम ग्रामों से होते हुए और भराचुक्की सडक के गवीपुरम मंदिर जहां जुडते हैं वह सडक छूती है। इसके बाद यह राष्ट्रीय राजमार्ग 209 के समान्तर 100 मीटर दूरी के साथ जाती है और इसके बाद पुल के साथ कावेरी नदी को पार करती है।

पारिस्थितिक संवेदी जोन में निम्नलिखित संलग्न ग्रामों में अर्थात् अरबगेरे में काउडल्ली आरक्षित वन और गनीगामंगाला में चिक्कयालुर आरक्षित वन सम्मिलित है।

**पश्चिम :** कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा बेलाकवदी सडक के साथ पश्चिमी दिशा मुडकर यह सडक बेलाकवदी टैंक छूती है। इसके बाद यह कार्ट रोड में जाती है जहां जवानागहली और मल्लीकयाथनहल्ली जुडती है और इसके बाद बेलागवदी, होसाहल्ली और गगनाचुक्की ग्रामों के त्रि जंक्शन बिन्दु में एनएच-209 से मिलती है। रेखा उत्तर पश्चिम दिशा में एनएच-209 के साथ मुडकर और कार्ट सडक के साथ जाती है जहां हेबानी ग्राम के साथ एनएच-209 जुडता है। रेखा कार्ट रोड में दुबारा आरंभ होकर और होसाहल्लीदसानादोही और मनचानाहल्ली, त्रि जंक्शन बिन्दु से मिलती है। इसके बाद यह पंडितहल्ली और मनचानाहल्ली की सामान्य सीमा के साथ जाती है और मनचानाहल्ली जंक्शन छूती है। रेखा मनचानापुर और हेबानी के मनचानपुर के त्रि बचानाहल्ली और छोटन, सामान्य सीमा के साथ मुडकर और इसके बाद मनचानपुराहल्ली और हेबानी ग्रामों के त्रि जंक्शन बिन्दु छूती है। इसके बाद रेखा हेबानी ग्राम के उत्तरी सीमा के साथ जाती है- ग्रामों अर्थात् 4 और हेबानीडब्बाहली और नेटकलू, चंदाहली, के जंक्शन को छूती है। और डब्बाहल्लीलिनगानापुरा के सामान्य सीमा के बीच के साथ उत्तरी, दिशा की ओर जाकर मुडती है और डब्बाहल्लीजंक्शन बिन्दु से मिलती है। लिनगानापुरा और धानागुर की त्रि, रा के बीच सामान्य सीमा के साथ उत्तरी दिशा की इसके बाद धानागुर और गरमादेवथीपु

जंक्शन बिन्दु से मि-धनगुर और हलासाहल्ली के त्रि ओर जाती है और गरमादेवथिपुरालती है। इसके बाद यह हलासाहल्ली और धानागुर के सामान्य सीमा के साथ और इसके बाद धानागुर आरक्षित वन की सीमा से मिलती है। रेखा धानागुर आरक्षित वन की उत्तरी सीमा के साथ जाती है और शीमाशा नदी को छूती है और इसके बाद गानालुकनापुर और जंक्शन बिन्दु-मदाहल्ली के त्रि और गनलु और मानाहल्ली की सामान्य सीमा के साथ गनलुजंक्शन बिन्दु से मिलती है। इसके बाद यह मदाहल्ली और बयादराहल्ली के त्रि और बयादराहल्ली की सामान्य सीमा के साथ उत्तरी दिशा में मुडकर और मादाहल्ली और दोद्वेलाचागरे की सामान्य सीमा के साथ और हलागापुर, नंजापुरा, गोल्लाराहल्ली और चिक्कायेलाचागरे के जंक्शन से मिलती है। इसके बाद रेखा गोलाराहल्ली सीमा के साथ मुडकर और इसके बाद गोलाराहल्ली और चिक्कायेलाचागरे के बीच सामान्य और शिवानाहल्ली की सामान्य सीमा के साथ उत्तरी दिशा में मुडकर और गोलाराहल्ली हालागुर और शिवानाहल्ली के त्रि जहां कावेरी वन्य जीव जंक्शन बिन्दु से मिलती है। अभ्यारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के आरंभिक बिन्दु है।

**उपाबंध -II****कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामो की सूची**

| मानचित्र आइ डी | ग्राम के नाम          | तालुक     | जिला     | विस्तार (हेक्टेयर ) | अक्षांश  | देशांतर  | टिप्पणी     |
|----------------|-----------------------|-----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|
| 1              | कुरहट्टी होसुर        | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 689.092             | 12.08753 | 77.50108 | पूर्ण ग्राम |
| 2              | बोम्मासान्द्र         | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 632.358             | 12.09113 | 77.48538 | पूर्ण ग्राम |
| 3              | बदराययनहल्ली          | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 713.759             | 12.08373 | 77.47238 | पूर्ण ग्राम |
| 4              | कौधली                 | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 2193.299            | 12.04243 | 77.43258 | आंशिक ग्राम |
| 5              | डोडुत्तूर             | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 647.756             | 12.03362 | 77.41336 | पूर्ण ग्राम |
| 6              | चेंगराहल्ली           | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 740.035             | 12.02165 | 77.40056 | पूर्ण ग्राम |
| 7              | अजजीपुरम              | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 629.329             | 12.03528 | 77.36768 | आंशिक ग्राम |
| 8              | एल्लिमलाई             | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 852.182             | 12.0723  | 77.35902 | पूर्ण ग्राम |
| 9              | दोदुमरिदेवरया समुंदरम | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 1316.721            | 12.10364 | 77.3408  | आंशिक ग्राम |
| 10             | गोनयुर                | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 843.938             | 12.14543 | 77.36855 | पूर्ण ग्राम |
| 11             | सगियम                 | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 2332.524            | 12.17083 | 77.39328 | पूर्ण ग्राम |
| 12             | बंधल्ली               | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 3496.663            | 12.13553 | 77.33184 | पूर्ण ग्राम |
| 13             | मानघल्ली              | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 189.619             | 12.13708 | 77.34509 | पूर्ण ग्राम |
| 14             | छींचहल्ली             | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 309.972             | 12.12793 | 77.31708 | पूर्ण ग्राम |
| 15             | अलगूमले               | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 841.396             | 12.12909 | 77.30048 | पूर्ण ग्राम |
| 16             | हुल्लपुरम             | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 186.389             | 12.12628 | 77.28412 | पूर्ण ग्राम |
| 17             | मंगलम                 | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 1326.332            | 12.10893 | 77.26968 | आंशिक ग्राम |
| 18             | बुडीबालू              | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 799.863             | 12.12643 | 77.2592  | आंशिक ग्राम |
| 19             | कोंगारहल्ली           | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 199.033             | 12.13428 | 77.23151 | आंशिक ग्राम |
| 20             | सिंगनल्लूर            | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 427.783             | 12.14143 | 77.22148 | आंशिक ग्राम |
| 21             | दोदुदुवादी            | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 350.915             | 12.1507  | 77.20508 | आंशिक ग्राम |
| 22             | चिक्कंडुवाडी          | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 343.621             | 12.16103 | 77.18708 | आंशिक ग्राम |

|    |                  |           |          |          |          |          |             |
|----|------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 23 | इक्कदाहल्ली      | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 1840.384 | 12.16093 | 77.22528 | पूर्ण ग्राम |
| 24 | कोठनूर           | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 2242.177 | 12.20974 | 77.24476 | पूर्ण ग्राम |
| 25 | चिक्कयालूर       | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 1927.304 | 12.22768 | 77.28321 | पूर्ण ग्राम |
| 26 | पलायम            | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 587.582  | 12.18136 | 77.17455 | आंशिक ग्राम |
| 27 | उगनियाम          | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 781.164  | 12.20374 | 77.16756 | आंशिक ग्राम |
| 28 | सट्टेगलम         | कोल्लेगाल | चमराजनगर | 6667.284 | 12.24123 | 77.17468 | आंशिक ग्राम |
| 29 | शिवनसमुद्र       | मलवल्ली   | मांड्या  | 219.950  | 12.27808 | 77.16431 | आंशिक ग्राम |
| 30 | बेलकवादी         | मलवल्ली   | मांड्या  | 166.148  | 12.28813 | 77.15528 | आंशिक ग्राम |
| 31 | गगना चुककि       | मलवल्ली   | मांड्या  | 759.157  | 12.29953 | 77.13748 | आंशिक ग्राम |
| 32 | होसाहल्ली        | मलवल्ली   | मांड्या  | 218.731  | 12.28666 | 77.13455 | पूर्ण ग्राम |
| 33 | मंचनहल्ली        | मलवल्ली   | मांड्या  | 476.940  | 12.3269  | 77.1081  | आंशिक ग्राम |
| 34 | हेबबानी          | मलवल्ली   | मांड्या  | 1010.786 | 12.3307  | 77.12226 | पूर्ण ग्राम |
| 35 | नेतकल            | मलवल्ली   | मांड्या  | 602.530  | 12.34313 | 77.14678 | पूर्ण ग्राम |
| 36 | डब्बाहल्ली       | मलवल्ली   | मांड्या  | 538.086  | 12.36923 | 77.14578 | पूर्ण ग्राम |
| 37 | धनगुर            | मलवल्ली   | मांड्या  | 1080.435 | 12.38683 | 77.15798 | पूर्ण ग्राम |
| 38 | हालसाहल्ली       | मलवल्ली   | मांड्या  | 287.390  | 12.37488 | 77.19531 | पूर्ण ग्राम |
| 39 | गनालु            | मलवल्ली   | मांड्या  | 1254.601 | 12.37283 | 77.21118 | पूर्ण ग्राम |
| 40 | ब्यादराहल्ली     | मलवल्ली   | मांड्या  | 433.241  | 12.37933 | 77.22508 | पूर्ण ग्राम |
| 41 | डोड्डाएलचगेरे    | मलवल्ली   | मांड्या  | 114.274  | 12.39388 | 77.2189  | पूर्ण ग्राम |
| 42 | चिक्कएलचगेरे     | मलवल्ली   | मांड्या  | 167.511  | 12.40603 | 77.22288 | पूर्ण ग्राम |
| 43 | शिवनहल्ली        | मलवल्ली   | मांड्या  | 72.029   | 12.41703 | 77.22692 | पूर्ण ग्राम |
| 44 | हगादुर           | मलवल्ली   | मांड्या  | 213.894  | 12.42151 | 77.23468 | पूर्ण ग्राम |
| 45 | होसपेटेबस्वापुरा | मलवल्ली   | मांड्या  | 146.876  | 12.42183 | 77.24648 | आंशिक ग्राम |
| 46 | गुंडापूरा        | मलवल्ली   | मांड्या  | 268.170  | 12.42373 | 77.25668 | आंशिक ग्राम |
| 47 | नंदिपुरा         | मलवल्ली   | मांड्या  | 266.820  | 12.41913 | 77.26428 | आंशिक ग्राम |
| 48 | केंपईयानाडोड्डी  | मलवल्ली   | मांड्या  | 217.966  | 12.41888 | 77.27051 | आंशिक ग्राम |
| 49 | देवीराहल्ली      | मलवल्ली   | मांड्या  | 197.502  | 12.42847 | 77.27837 | आंशिक ग्राम |
| 50 | हरिहरा           | कनकपुर    | रामनगर   | 67.694   | 12.39433 | 77.28968 | 100मीटर     |
| 51 | बूहल्ली          | कनकपुर    | रामनगर   | 104.659  | 12.39447 | 77.31232 | 100 मीटर    |
| 52 | डूंटुर           | कनकपुर    | रामनगर   | 72.709   | 12.40373 | 77.33688 | 100 मीटर    |
| 53 | चिक्कामुडुडे     | कनकपुर    | रामनगर   | 27.051   | 12.41071 | 77.34729 | 100 मीटर    |

|              |                           |        |        |                 |          |          |          |
|--------------|---------------------------|--------|--------|-----------------|----------|----------|----------|
| 54           | नायकनहल्ली                | कनकपुर | रामनगर | 63.557          | 12.41248 | 77.3645  | 100 मीटर |
| 55           | अलहल्ली                   | कनकपुर | रामनगर | 107.797         | 12.40043 | 77.37878 | 100 मीटर |
| 56           | उय्यंबल्ली                | कनकपुर | रामनगर | 101.915         | 12.37773 | 77.39268 | 100 मीटर |
| 57           | हेलेगहल्ली                | कनकपुर | रामनगर | 65.422          | 12.35791 | 77.40112 | 100 मीटर |
| 58           | हरोशिवनहल्ली              | कनकपुर | रामनगर | 56.215          | 12.34693 | 77.41528 | 100 मीटर |
| 59           | बेन्नगोडु                 | कनकपुर | रामनगर | 75.494          | 12.33893 | 77.43011 | 100 मीटर |
| 60           | पुरसगोंदनहल्ली            | कनकपुर | रामनगर | 122.208         | 12.35533 | 77.43868 | 100 मीटर |
| 61           | नाल्लाहल्ली               | कनकपुर | रामनगर | 12.713          | 12.37628 | 77.43549 | 100 मीटर |
| 62           | मदरहल्ली                  | कनकपुर | रामनगर | 2.360           | 12.37408 | 77.44012 | 100 मीटर |
| 63           | मुल्लाहल्ली               | कनकपुर | रामनगर | 55.989          | 12.36753 | 77.44608 | 100 मीटर |
| 64           | गोल्लाहल्ली               | कनकपुर | रामनगर | 98.641          | 12.35211 | 77.45673 | 100 मीटर |
| 65           | अरेकोप्पा                 | कनकपुर | रामनगर | 185.806         | 12.33289 | 77.47852 | 100 मीटर |
| 66           | कोत्तेकोप्पा              | कनकपुर | रामनगर | 258.279         | 12.36924 | 77.49096 | 100 मीटर |
| 67           | हलनाथा                    | कनकपुर | रामनगर | 392.611         | 12.37973 | 77.51528 | 100 मीटर |
| 68           | कुदिगलनी                  | कनकपुर | रामनगर | 58.536          | 12.36833 | 77.52568 | 100 मीटर |
| 69           | गुड्डेवीराना<br>होसाहल्ली | कनकपुर | रामनगर | 82.467          | 12.35193 | 77.53229 | 100 मीटर |
| 70           | बनीकोडु                   | कनकपुर | रामनगर | 468.794         | 12.33868 | 77.56171 | 100 मीटर |
| 71           | चिक्कामुकोदु              | कनकपुर | रामनगर | 389.684         | 12.35301 | 77.58365 | 100 मीटर |
| 72           | हुनसनाहल्ली               | कनकपुर | रामनगर | 252.953         | 12.36737 | 77.60758 | 100 मीटर |
| <b>कुल :</b> |                           |        |        | <b>45945.65</b> |          |          |          |


**कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत संलग्न ग्राम**

| मानचित्र<br>आइ डी | संलग्न ग्राम के<br>नाम | तालुक     | जिला         | विस्तार (हेक्टेयर ) | अक्षांश  | देशांतर  | टिप्पणी     |
|-------------------|------------------------|-----------|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|
| 73                | होननिगनहल्ली           | कनकपुर    | रामनगर       | 162.806             | 12.32352 | 77.55056 | पूर्ण ग्राम |
| 74                | मुगगुर                 | कनकपुर    | रामनगर       | 250.138             | 12.31255 | 77.52161 | पूर्ण ग्राम |
| 75                | मदिवाला                | कनकपुर    | रामनगर       | 38.434              | 12.29122 | 77.47448 | पूर्ण ग्राम |
| 76                | कौंगेवडी               | कनकपुर    | रामनगर       | 33.668              | 12.29295 | 77.44184 | पूर्ण ग्राम |
| 77                | संगम                   | कनकपुर    | रामनगर       | 52.749              | 12.28915 | 77.42918 | पूर्ण ग्राम |
| 78                | बोम्मासान्द्र          | कनकपुर    | रामनगर       | 22.129              | 12.28596 | 77.41129 | पूर्ण ग्राम |
| 79                | हेगगनूर                | कनकपुर    | रामनगर       | 696.946             | 12.32977 | 77.3962  | पूर्ण ग्राम |
| 80                | वीरसान्द्र             | कनकपुर    | रामनगर       | 39.422              | 12.31569 | 77.37837 | पूर्ण ग्राम |
| 81                | हूलया                  | कनकपुर    | रामनगर       | 80.839              | 12.35327 | 77.3623  | पूर्ण ग्राम |
| 82                | चिलंदवादी              | कनकपुर    | रामनगर       | 85.728              | 12.35698 | 77.37306 | पूर्ण ग्राम |
| 83                | मककलानदा               | कनकपुर    | रामनगर       | 290.339             | 12.40076 | 77.34663 | पूर्ण ग्राम |
| 84                | हीरा                   | कनकपुर    | रामनगर       | 1.890               | 12.28325 | 77.35651 | पूर्ण ग्राम |
| 85                | मुथाथी                 | मलवल्ली   | मांड्या      | 20.052              | 12.30058 | 77.30874 | पूर्ण ग्राम |
| 86                | बननाने                 | मलवल्ली   | मांड्या      | 14.862              | 12.3148  | 77.30062 | पूर्ण ग्राम |
| 87                | कोनगुंडी               | मलवल्ली   | मांड्या      | 26.840              | 12.35315 | 77.30336 | पूर्ण ग्राम |
| 88                | सोलीगेरे               | मलवल्ली   | मांड्या      | 59.545              | 12.35346 | 77.2904  | पूर्ण ग्राम |
| 89                | संबपुरा                | मलवल्ली   | मांड्या      | 16.084              | 12.3653  | 77.29361 | पूर्ण ग्राम |
| 90                | कुरिमंदे               | मलवल्ली   | मांड्या      | 3.116               | 12.37663 | 77.3003  | पूर्ण ग्राम |
| 91                | बसावनहल्ली             | मलवल्ली   | मांड्या      | 154.574             | 12.38558 | 77.26606 | पूर्ण ग्राम |
| 92                | सोलवा                  | मलवल्ली   | मांड्या      | 8.972               | 12.37821 | 77.24497 | पूर्ण ग्राम |
| 93                | मुठलाकट्टे             | मलवल्ली   | मांड्या      | 1.336               | 12.39494 | 77.23919 | पूर्ण ग्राम |
| 94                | होसडोडुडी              | मलवल्ली   | मांड्या      | 77.289              | 12.36389 | 77.24329 | पूर्ण ग्राम |
| 95                | दलनकट्टे               | मलवल्ली   | मांड्या      | 44.649              | 12.35388 | 77.24329 | पूर्ण ग्राम |
| 96                | बासवेगौडना<br>डोडुडी   | मलवल्ली   | मांड्या      | 28.060              | 12.34692 | 77.24652 | पूर्ण ग्राम |
| 97                | तलवाडी                 | मलवल्ली   | मांड्या      | 39.793              | 12.34253 | 77.2453  | पूर्ण ग्राम |
| 98                | शिशपुरा                | मलवल्ली   | मांड्या      | 31.545              | 12.33401 | 77.18111 | पूर्ण ग्राम |
| 99                | गनिगमंगला              | कोल्लेगाल | चमराज<br>नगर | 255.731             | 12.24363 | 77.33889 | पूर्ण ग्राम |
| 100               | अरवीगेरे               | कोल्लेगाल | चमराज<br>नगर | 373.756             | 12.13402 | 77.46377 | पूर्ण ग्राम |
| 101               | दंतल्ली                | कोल्लेगाल | चमराज<br>नगर | 216.859             | 12.15247 | 77.54329 | पूर्ण ग्राम |
| 102               | पंचलनाई                | कोल्लेगाल | चमराज<br>नगर | 26.187              | 12.14399 | 77.67307 | पूर्ण ग्राम |
| 103               | बज्जालनी               | कोल्लेगाल | चमराज<br>नगर | 15.487              | 12.12857 | 77.66185 | पूर्ण ग्राम |

|              |           |           |              |                 |          |          |             |
|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|----------|----------|-------------|
| 104          | अलंबड़ी   | कोल्लेगाल | चमराज<br>नगर | 137.129         | 12.14439 | 77.72776 | पूर्ण ग्राम |
| 105          | गोपिनट्टम | कोल्लेगाल | चमराज<br>नगर | 470.293         | 12.04482 | 77.69358 | पूर्ण ग्राम |
| 106          | नागमलाइ   | कोल्लेगाल | चमराज<br>नगर | 34.628          | 12.02909 | 77.64667 | पूर्ण ग्राम |
| 107          | परसलनततम  | कोल्लेगाल | चमराज<br>नगर | 67.196          | 12.01103 | 77.65894 | पूर्ण ग्राम |
| <b>कुल :</b> |           |           |              | <b>3879.071</b> |          |          |             |

**उपाबंध -III****कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र**

Map showing the Eco-Sensitive Zone of Cauvery Wildlife Sanctuary



**उपाबंध -IIIक**

**कावेरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पे मुख्य अवस्थान  
(भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली )**

| मानचित्र आइ डी | अक्षांश  | देशांतर  |
|----------------|----------|----------|
| 1              | 12.11202 | 77.50638 |
| 2              | 12.10195 | 77.45954 |
| 3              | 12.08249 | 77.43520 |
| 4              | 12.06025 | 77.39549 |
| 5              | 12.05642 | 77.36338 |
| 6              | 12.12628 | 77.39438 |
| 7              | 12.18192 | 77.42153 |
| 8              | 12.22787 | 77.40730 |
| 9              | 12.18950 | 77.37330 |
| 10             | 12.16199 | 77.31700 |
| 11             | 12.14257 | 77.27694 |
| 12             | 12.16763 | 77.23851 |
| 13             | 12.21019 | 77.31009 |
| 14             | 12.27176 | 77.28592 |
| 15             | 12.25254 | 77.27455 |
| 16             | 12.23123 | 77.25473 |
| 17             | 12.18806 | 77.20879 |
| 18             | 12.21670 | 77.19309 |
| 19             | 12.24934 | 77.23199 |
| 20             | 12.30981 | 77.18031 |
| 21             | 12.32291 | 77.17098 |
| 22             | 12.35324 | 77.17371 |
| 23             | 12.33544 | 77.19999 |
| 24             | 12.36405 | 77.23043 |
| 25             | 12.39069 | 77.23963 |
| 26             | 12.39105 | 77.29108 |
| 27             | 12.39210 | 77.31375 |
| 28             | 12.40983 | 77.36398 |
| 29             | 12.35275 | 77.40098 |
| 30             | 12.33794 | 77.42515 |
| 31             | 12.33257 | 77.43839 |
| 32             | 12.37383 | 77.43420 |



|    |          |          |
|----|----------|----------|
| 33 | 12.32568 | 77.47158 |
| 34 | 12.37052 | 77.51642 |
| 35 | 12.34930 | 77.53082 |
| 36 | 12.36545 | 77.61543 |
| 37 | 12.33688 | 77.58315 |
| 38 | 12.30450 | 77.56018 |
| 39 | 12.27522 | 77.50903 |
| 40 | 12.26205 | 77.47819 |
| 41 | 12.20839 | 77.47358 |
| 42 | 12.19551 | 77.56443 |
| 43 | 12.19142 | 77.67851 |
| 44 | 12.11366 | 77.77789 |
| 45 | 12.04650 | 77.71975 |
| 46 | 11.94836 | 77.66998 |
| 47 | 11.97683 | 77.63128 |
| 48 | 12.03429 | 77.62975 |
| 49 | 12.10092 | 77.66496 |
| 50 | 12.15137 | 77.59992 |
| 51 | 12.13963 | 77.57213 |
| 52 | 12.12242 | 77.54837 |
| 53 | 12.14773 | 77.50337 |

**पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पे मुख्य अवस्थान  
(भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली )**

| मानचित्र आइ | अक्षांश  | देशांतर  |
|-------------|----------|----------|
| 1           | 12.11202 | 77.50638 |
| 2           | 12.10195 | 77.45954 |
| 3           | 12.08249 | 77.43520 |
| 4           | 12.06025 | 77.39549 |
| 5           | 12.05642 | 77.36338 |
| 6           | 12.12628 | 77.39438 |
| 7           | 12.18192 | 77.42153 |
| 8           | 12.22787 | 77.40730 |
| 9           | 12.18950 | 77.37330 |

|    |          |          |
|----|----------|----------|
| 10 | 12.16199 | 77.31700 |
| 11 | 12.14257 | 77.27694 |
| 12 | 12.16763 | 77.23851 |
| 13 | 12.21019 | 77.31009 |
| 14 | 12.27176 | 77.28592 |
| 15 | 12.25254 | 77.27455 |
| 16 | 12.23123 | 77.25473 |
| 17 | 12.18806 | 77.20879 |
| 18 | 12.21670 | 77.19309 |
| 19 | 12.24934 | 77.23199 |
| 20 | 12.30981 | 77.18031 |
| 21 | 12.32291 | 77.17098 |
| 22 | 12.35324 | 77.17371 |
| 23 | 12.33544 | 77.19999 |
| 24 | 12.36405 | 77.23043 |
| 25 | 12.39069 | 77.23963 |
| 26 | 12.39105 | 77.29108 |
| 27 | 12.39210 | 77.31375 |
| 28 | 12.40983 | 77.36398 |
| 29 | 12.35275 | 77.40098 |
| 30 | 12.33794 | 77.42515 |
| 31 | 12.33257 | 77.43839 |
| 32 | 12.37383 | 77.43420 |
| 33 | 12.32568 | 77.47158 |
| 34 | 12.37052 | 77.51642 |
| 35 | 12.34930 | 77.53082 |
| 36 | 12.36545 | 77.61543 |
| 37 | 12.33688 | 77.58315 |
| 38 | 12.30450 | 77.56018 |
| 39 | 12.27522 | 77.50903 |
| 40 | 12.26205 | 77.47819 |
| 41 | 12.20839 | 77.47358 |
| 42 | 12.19551 | 77.56443 |
| 43 | 12.19142 | 77.67851 |
| 44 | 12.11366 | 77.77789 |
| 45 | 12.04650 | 77.71975 |

|    |          |          |
|----|----------|----------|
| 46 | 11.94836 | 77.66998 |
| 47 | 11.97683 | 77.63128 |
| 48 | 12.03429 | 77.62975 |
| 49 | 12.10092 | 77.66496 |
| 50 | 12.15137 | 77.59992 |
| 51 | 12.13963 | 77.57213 |
| 52 | 12.12242 | 77.54837 |
| 53 | 12.14773 | 77.50337 |

**उपाबंध IV****पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd March, 2016

**S.O. 656(E).**— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in)

**Draft Notification**

**WHEREAS**, the Cauvery Wildlife Sanctuary which was notified vide notification of the State Government of Karnataka no. FEE 302 FWL 2011-(IV), dated the 27<sup>th</sup> of November, 2011 is located within the three districts of Karnataka, namely, Ramanagara (Kanakapura taluk), Chamrajnagara (Kollegala taluk) and Mandya (Malavalli taluk) and lies between the North Latitudes 11° 56' 54.38"N to 12° 24' 35.78"N and the East Longitudes 77° 09' 41.02"E to 77° 46' 39.84"E and is spread over an area of 1027.51 square Kilometres..

**AND WHEREAS**, Cauvery Wildlife Sanctuary forms an important part of the drier forests of Karnataka and of the Mysore Elephant Reserve declared by Project Elephant which supports good densities of Asian elephants depicting the ecological importance of the sanctuary;

**AND WHEREAS**, the south-western side, the sanctuary is connected to Biligirirangaswamy Temple Tiger Reserve through Malai Mahadeswara Wildlife Sanctuary and Edyarahalli Reserved Forests and in the north, the Sanctuary is connected to Bannerghatta National Park;

**AND WHEREAS**, some of the large mammals found in the sanctuary include tiger, leopard, wild dog, striped hyena, sloth bear, elephant, gaur, sambar, chital, Honey Badgers, and four-horned antelope and the smooth coated-otter and marsh crocodile are the two important riverine wildlife species found here;

**AND WHEREAS**, Cauvery Wildlife Sanctuary is the only place in Karnataka where the endangered grizzled giant squirrel is found and also has good densities of four-horned antelopes making it an important area for the conservation of these two species and the sanctuary is also famous for the endangered fish Deccan Mahsheer;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area the extent which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Cauvery Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, floral, faunal, geographical associations or importance and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

**NOW THEREFORE**, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.10 km to 15 kms around the boundary of Cauvery Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka as the Cauvery Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

**1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The Eco-Sensitive Zone is 558.906 square kilometres km with an extent varying from 0.10 km to 15 kms around the boundary of Cauvery Wildlife Sanctuary and the boundary details of such Zone is given in **Annexure-I**.

(2) The list of 107 villages (including 35 enclosure villages) falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure-II**.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III**.

(4) Key locations (GPS points) on the eco-sensitive zone boundary as well as on the sanctuary are appended as **Annexure-III A**.

**2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment,
- (ii) Forest,
- (iii) Urban Development,
- (iv) Tourism,
- (v) Municipal,
- (vi) Revenue,
- (vii) Agriculture,
- (ix) Karnataka State Pollution Control Board,
- (x) Irrigation,
- (xi) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee constituted under paragraph 5, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 11, 17, 23, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,
- (ii) Widening and strengthening of existing roads,
- (iii) Small scale industries not causing pollution,
- (iv) Rainwater harvesting, and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**— (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Cauvery Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of 1 kilometer from the boundary of protected areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-define and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**— All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of final notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**— Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of final notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made there under.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25<sup>th</sup> September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The Bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20<sup>th</sup> July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic. -** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units.-**

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

| S.No.                        | Activity   | Remarks   |
|------------------------------|--|---|
| (1)                          | (2)  | (3)   |
| <b>Prohibited activities</b> |  |   |
| 1.                           | Commercial Mining, stone quarrying and crushing units. | (a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or |

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
|                             |   | bricks for housing for personal consumption.<br>(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.  |
| 2.                          | Setting up of saw mills.  | No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.  |
| 3.                          | Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.                                       | No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.  |
| 4.                          | Commercial use of firewood.   | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.  |
| 5.                          | Establishment of new thermal and major hydroelectric projects.  | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.  |
| 6.                          | Use or production of any hazardous substances including pesticides and insecticides.                            | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.  |
| 7.                          | Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.                          | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.  |
| 8.                          | Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.  |
| 9                           | New wood based industry.  | No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone:<br>Provided the existing wood-based industry may continue as per law:<br>Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.   |
| <b>Regulated activities</b> |   |  |
| 10.                         | Use of plastic carry bags, laminates and tetra packs.   | Regulated under applicable laws. Disposal of plastic articles laminates and tetra packs shall be strictly regulated and monitored.   |
| 11.                         | Establishment of hotels and resorts.  | No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly Tourism activities.<br>However, beyond one kilometer and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new Tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.   |
| 12.                         | Construction activities   | (a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area:<br>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3:<br>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any.<br>Further, beyond one kilometer and upto the extent of Eco-Sensitive Zone, construction for bone fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan. |
| 13.                         | Felling of trees.   | (a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.<br>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance   |



|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
|                            |   | with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.<br>(c) In case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.  |
| 14.                        | Commercial water resources including ground water harvesting.   | (a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land.<br>(b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority.<br>(c) No sale of surface water or ground water shall be permitted.<br>(d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture. |
| 15.                        | Erection of electrical cables, transmission lines and telecommunication towers.   | (i) Promote underground cabling.<br>(ii) Existing domestic lines – if over ground, shall be at the height of 20 feet for slope < 20 degree and for slope > 30 degree it shall be at the height of 30 feet from the ground.<br>(iii) For any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11KV shall be done underground.<br>(iv) Any transmission line more than 11KV the “sag” point between the two towers shall be at 15 meters from the ground.   |
| 16.                        | Fencing of existing premises of hotels and lodges.  | Regulated under applicable laws.  |
| 17.                        | Widening and strengthening of existing roads.   | Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.   |
| 18.                        | Movement of vehicular traffic at night.   | Regulated for commercial purpose, under applicable laws.  |
| 19.                        | Introduction of exotic species.   | Regulated under applicable laws.  |
| 20.                        | Protection of hill slopes and river banks.  | Regulated under applicable laws.  |
| 21.                        | Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area and disposal of solid waste.                                  | Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.   |
| 22.                        | Commercial Sign boards and hoardings.   | Regulated under applicable laws.  |
| 23.                        | Small scale industries not causing pollution.   | Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.   |
| 24.                        | Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).   | Regulated under applicable laws.  |
| 25.                        | Air and vehicular pollution.  | Regulated under applicable laws.  |
| 26.                        | Drastic Change of Agriculture systems.  | Regulated under applicable laws.  |
| <b>Promoted activities</b> |   |   |
| 27.                        | Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries. | Permitted under applicable laws.  |
| 28.                        | Rain water harvesting.  | Shall be actively promoted.   |
| 29.                        | Organic farming.  | Shall be actively promoted.   |
| 30.                        | Adoption of green technology for all activities.  | Shall be actively promoted.   |
| 31.                        | Cottage industries including village artisans.  | Shall be actively promoted.   |
| 32.                        | Use of renewable energy sources.  | Bio gas, solar light etc to be promoted.  |

**Monitoring Committee:**

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Karnataka, which shall comprise of the following namely:-

- (a) Regional Commissioner, Mysore – Chairman

- (b) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Hanur Constituency, Chamarajanagar District - Member
- (c) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Malavalli Constituency, Mandya District - Member
- (d) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Kanakapura Constituency, Ramanagar District - Member
- (e) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka – Member;
- (f) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka –Member;
- (g) Representative of Non-governmental Organizations working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka – Member;
- (h) Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysore – Member;
- (i) One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka – Member.
- (j) Deputy Commissioner or his representative, Chamarajanagar, Mandya and Ramanagar -Member
- (k) The Deputy Conservator of Forests, Cauvery Wildlife Sanctuary, Kollegal - Member Secretary.

\*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

**Terms of Reference:**

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
  - (2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
  - (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
  - (4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
  - (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
  - (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31<sup>st</sup> March of every year by 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure IV**.
  - (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
  7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F. No. 25/160/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

**ANNEXURE-I****BOUNDARY DETAILS OF CAUVERY WILDLIFE SANCTUARY**

**North:** The boundary of Eco Sensitive Zone to Cauvery Wildlife Sanctuary begins from Hagadur village of Malavalli Taluk, Mandya District and it continues with Border villages of Basavanabetta Reserved Forest. Then boundary passes through Hospete village, Basavapura village then moves towards a distance of 100 mts from NH 209 at the border of Gundapura village, then the line passes along NH 209 keeping 100 mts. distance parallel from NH 209, touches the western border of Dalvaikodihalli away from NH 209 by about 100 mts. The line moves along the common boundary of Gundapura and Dalvaikodihalli meets the tri-junction of Gundapura, Dalvaikodihalli and Nandipura villages in Malavalli Taluk. The line passes through Northern boundary of Nandipura and Kempaianadoddi towards eastern direction and meets the tri-junction point of Kempaianadoddi, Dalvaikodihalli and Devirahalli. The eco-sensitive zone line passes through common boundary of Devirahalli and Dalvaikodihalli and meets the tri-junction point of Devirahalli, Dalvaikodihalli in Malavalli Taluk and Honniganahalli in Kanakapura Taluk of Ramanagara District.

The line then passes through common boundary of Devirahalli and Honniganahalli in the Eastern direction and touches the tri-junction point of Kadahalli, Honniganahalli and Harihara villages of Kanakapura Taluk of Ramanagara District.

The Eco-sensitive zone line passes along 100 mts or complete survey number parallel distance from forest boundary of Cauvery Wildlife Sanctuary through Harihara (Sy No. 74, 69, 248, 249, 259, 69, 73, 72, 71, 70, 258, 250, 251), Boohalli (Sy No. 180, 27, 79, 138, 50, 137, 178, 179, 172) and Duntoor (Sy No. 176, 177, 86, 190, 15, 193, 192, 198, 199, 175, 174, 172, 219, 173, 218, 217, 216, 178) in Kanakapura Taluk. Then the line passes through border villages of Chilandavadi Reserve Forest at 100 mts distance or complete survey number from the forest boundary in Chikkamudude (Sy No. 26), Nayakanahalli (Sy No. 38,168,169,182,181,183), Dodda-Alahalli (Sy No. 174,317,318,320,319,329, 167,294,169, 168,293,171,292,291,173,295,166,170,342,172), Uyyamballi (Sy No. 147, 195), Halegehalli (Sy No. 181,143), Vadake katte, Haroshivanahalli (Sy No. 31, 102, 42, 103, 104, 41), Bennagodu (Sy No. 26, 4), Purushagondanahalli (Sy No. 34,18,35,17,36,27,30), Mullahalli village (Sy no. 80, 76, 79, 77, 78, 68, 74, 73), Survey numbers adjacent to forest boundary in Nallahalli, Madarahalli and Gollahalli (Sy No. 133, 128, 127), Arekoppa (Sy No.25, 26, 173, 27, 174, 33, 119, 34, 95, 94, 106, 107, 93, 86, 103, 85, 83, 184, 183, 172, 84, 180, 185) and Kottekoppa (Sy No. 9, 41, 208, 207, 209, 45, 42, 196, 49, 50, 51, 52, 57, 56, 55, 54, 53) villages and then meets the Muggur Reserve Forest boundary at 100 mts. from the boundary of Muggur Reserve Forest boundary, Chunchi east Reserve Forest boundary and Chavarakal Reserve Forest boundary covering 100 mts from the Reserved Forest boundary towards Halanatha (Sy No. 73, 67, 66, 65, 63, 62, 64, 163, 162), Kudigalani (Sy No. 22, 20, 5, 4, 3, 2, 21), Guddeveerana hosally, Bannimkodlu (Sy No. 137, 297, 153, 82, 83, 86, 84, 94, 95, 97, 96, 98, 114, 153, 115, 116, 294, 295, 153, 266, 270, 137, 272, 259, 293, 271, 153, 273, 260, 264, 269, 257, 267, 261, 262, 153, 260, 293, 263, 268, 258, 285, 269, 272, 286), Chikkamokodlu (Sy No. 97, 11, 96, 12, 71, 13, 16, 19, 17, 18, 67, 68, 70, 69, 70, 80, 81, 72, 73, 78, 74, 77, 75, 76, 99, 98, 100), and Hunasanahalli (Sy. No. 8, 12, 15, 2, 17, 14, 13, 18, 9, 10, 11, 19). and then northern boundary of Chavarakal Reserve Forest and touches the interstate boundary of Karnataka and Tamilnadu State at Hunasanahalli. Survey numbers of the above mentioned villages of Kanakapura Taluk are included in the Eco-sensitive zone which are within 100 mts. distance from the boundary of the Sanctuary. Survey numbers which are not included above but are within 100 mts. distance from the boundary of Sanctuary are included in the Eco- sensitive zone.

Eco-sensitive zone consists of following enclosure villages of Basavanabetta Reserved forest Talavadi, Basavegowdanadoddi, Dalanakatte, Solaba, Muthalakatte, Basavanahalli, Konangundi, Soligere, Muthathi, Kurimande, Bananne and Sambapura villages. Then enclosure villages of Chilandavadi Reserved forest includes Hegganur, Veerasandra, Cheelandvadi, Sangam, Bommasandra, Hoolya and Makkalandha villages. Then enclosure villages of Muggur Reserved forest includes Muggur, Kongevadi and Madivala villages. Then includes Honniganahalli village as enclosure village of Chavarkal Reserved forest.

**East:** The Eastern boundary of Eco-Sensitive Zone of Cauvery Wildlife Sanctuary begins from interstate boundary of Karnataka and Tamilnadu starting from point where Hunasanahalli ends with interstate border and runs along interstate border till the line meets river Cauvery and continues up to point where river Palar meets river Cauvery. Then boundary further continues along the boundary of Cauvery Wildlife Sanctuary and Malai Mahadeswara Wildlife Sanctuary.

Eco sensitive zone consists of following enclosure villages of Mahadeshwara Reserve Forest viz., Padasalnattam, Nagamalai, Gopinatham, Hogenakal, Alambadi, Panchalhanai, Bejjalanai, Dantalli and Indiganattam villages.

**South:** The Southern boundary Eco-sensitive Zone of Cauvery Wildlife Sanctuary starts from junction point where Palar meets Cauvery River in the interstate border. Then boundary further continues along the boundary of Cauvery Wildlife Sanctuary and Malai Mahadeswara Wildlife Sanctuary. Then the line meets Southern boundary of Cauvery Wildlife Sanctuary and moves along the D line of the Sanctuary and meets village boundary of Kuratti Hosur, Badrayyanahalli, Koudalli, Doddalattur, Changralahalli and Edyarahalli Reserve Forest touching Southern boundary of Changarahalli and meets the tri-junction point Ramapura, Ajjipura and Changarahalli. Survey numbers 772, 769, 273, 280, 277, 276, 274,

292, 275, 279, 278, 767, 748, 768, 750, 751, 290, 289, 788, 288, 287, 293, 770, 295, 292, 294, 771, 419, 420, 421, 434, 423, 424, 425, 437, 436, 773, 438, 439, 440, 441, 446, 448, 447 and 449 of Ajjipura village are included in Eco sensitive zone of Cauvery Wildlife Sanctuary. And grama thana limits of Ajjipura and village does not fall under Eco sensitive zone. Then runs along the border of Hanur Reserve Forest boundary in the Northern direction along the border of Chinnagudda. Then the line moves along Northern part of Hanur Reserve Forest in the western direction till a cart track which runs Northern and eastern direction touches Tatte Halla and then runs all along Tatte Halla till Tatte Halla meets Dodda Halla. The line moves towards west along Dodda Halla passing through Managalli, Chinchahalli, Gundapura and then meets the Mangala village then move in the Southern direction along the common boundary of Gundapura and Mangala and touches the at a distance of 100 mts from Kollegal-Ramapura Road. Then the Eco-sensitive Zone line runs all along 100 mts distance from the Kollegal-Ramapura Road till the point where it touches the irrigation channel at Doddinduvadi. There it takes northern direction moves all along the channel and passes through villages Chikkinduvadi, Palyam, Uganiyam, Sathegala and touches a road which connects Gavipuram Temple to Bharachukki road. Then it runs along 100 mts distance parallel to the National Highway 209 and then crosses the river Cauvery along the bridge.

The Eco Sensitive Zone includes following enclosure villages namely Arabgere in Cowdally Reserve Forest and Ganigamangala in Chikkalyur Reserve Forest.

**West:** The Eco-sensitive Zone boundary of Cauvery Wildlife Sanctuary moves western direction along the Belakavadi road till the road touches the Belakavadi tank. Then it runs in the cart road which connects Javanagahalli and Mallikyathanahalli and then meets NH 209 at the tri-junction point of Belakavadi, Hosahalli and Gaganachukki villages. The line moves along NH 209 in the North-West direction and runs along a cart road which connects NH 209 with Hebbani village. The line continues in the cart road and meets the tri-junction point of Hosahalli, Dasanoddi and Manchanahalli. Then it runs all along the common boundary of Pandithalli and Manchanahalli and touches the tri-junction point of Manchanahalli, Bachanahalli and Manchanapura. The line moves along the common boundary of Manchanapura and Hebbani and then touches the tri-junction point of Manchanapura, Chottanhalli and Hebbani villages. Then the line runs along the Northern boundary of Hebbani village and touches the junction of 4 villages namely Hebbani, Chandahalli, Dabbahalli and Nettkallu. And moves towards north direction along the common boundary between Dabbahalli and Lingapur and meets the tri-junction point of Dabbahalli, Lingapur and Dhanagur. Then it runs towards Northern direction along the common boundary between Dhanagur and Gramadevathipura and meets the tri-junction point of Gramadevathipura, Dhanagur and Halasahalli. Then it runs all along the common boundary of Halasahalli and Dhanagur and then meets the border of Dhanagur Reserve Forest. The line runs along the Northern boundary of Dhanagur Reserve Forest and touches the Shimsha River and then the tri-junction point of Ganalu, Kannapura and Madahalli and runs along the common boundary of Ganalu and Madahalli meets the tri-junction point of Ganalu, Madahalli and Byadarahalli. Then it moves in Northern direction along the common boundary of Madahalli and Byadarahalli and along the common boundary of Madahalli and Dodayelachagere and meets the junction of Halagapura, Nanjapura, Gollarahalli and Chikkayelachagere. Then the line moves along the common boundary between Gollarahalli and Chikkayelachagere and then move in Northern direction along common boundary of Gollarahalli and Shivanahalli and meets the tri-junction point of Gollarahalli, Halagur and Shivanahalli which is the starting point of Eco-sensitive Zone of Cauvery Wildlife Sanctuary.

## ANNEXURE-II

### VILLAGES FALLING IN ECO-SENSITIVE ZONE OF CAUVERY WILDLIFE SANCTUARY

| Map id | Village name    | Taluk    | District       | Extent (ha) | Latitude | Longitude | Remarks         |
|--------|-----------------|----------|----------------|-------------|----------|-----------|-----------------|
| 1      | Kurahatti Hosur | Kollegal | Chamarajanagar | 689.092     | 12.08753 | 77.50108  | Entire village  |
| 2      | Bommasandra     | Kollegal | Chamarajanagar | 632.358     | 12.09113 | 77.48538  | Entire village  |
| 3      | Badrayyanahalli | Kollegal | Chamarajanagar | 713.759     | 12.08373 | 77.47238  | Entire village  |
| 4      | Kaudhalli       | Kollegal | Chamarajanagar | 2193.299    | 12.04243 | 77.43258  | Partial village |
| 5      | Doddattur       | Kollegal | Chamarajanagar | 647.756     | 12.03362 | 77.41336  | Entire village  |
| 6      | Chengarahalli   | Kollegal | Chamarajanagar | 740.035     | 12.02165 | 77.40056  | Entire village  |
| 7      | Ajjipuram       | Kollegal | Chamarajanagar | 629.329     | 12.03528 | 77.36768  | Partial village |

|    |                             |           |                |          |          |          |                 |
|----|-----------------------------|-----------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 8  | Ellimalai                   | Kollegal  | Chamarajanagar | 852.182  | 12.0723  | 77.35902 | Entire village  |
| 9  | Doddamaridevaraya samundram | Kollegal  | Chamarajanagar | 1316.721 | 12.10364 | 77.3408  | Partial village |
| 10 | Gonayur                     | Kollegal  | Chamarajanagar | 843.938  | 12.14543 | 77.36855 | Entire village  |
| 11 | Saggiyam                    | Kollegal  | Chamarajanagar | 2332.524 | 12.17083 | 77.39328 | Entire village  |
| 12 | Bandhalli                   | Kollegal  | Chamarajanagar | 3496.663 | 12.13553 | 77.33184 | Entire village  |
| 13 | Managhalli                  | Kollegal  | Chamarajanagar | 189.619  | 12.13708 | 77.34509 | Entire village  |
| 14 | Chinchahalli                | Kollegal  | Chamarajanagar | 309.972  | 12.12793 | 77.31708 | Entire village  |
| 15 | Alagumale                   | Kollegal  | Chamarajanagar | 841.396  | 12.12909 | 77.30048 | Entire village  |
| 16 | Hullapuram                  | Kollegal  | Chamarajanagar | 186.389  | 12.12628 | 77.28412 | Entire village  |
| 17 | Mangalam                    | Kollegal  | Chamarajanagar | 1326.332 | 12.10893 | 77.26968 | Partial village |
| 18 | Budibalu                    | Kollegal  | Chamarajanagar | 799.863  | 12.12643 | 77.2592  | Partial village |
| 19 | Kongarhalli                 | Kollegal  | Chamarajanagar | 199.033  | 12.13428 | 77.23151 | Partial village |
| 20 | Singnallur                  | Kollegal  | Chamarajanagar | 427.783  | 12.14143 | 77.22148 | Partial village |
| 21 | Doddinduvadi                | Kollegal  | Chamarajanagar | 350.915  | 12.1507  | 77.20508 | Partial village |
| 22 | Chikkanduvadi               | Kollegal  | Chamarajanagar | 343.621  | 12.16103 | 77.18708 | Partial village |
| 23 | Ikkadahalli                 | Kollegal  | Chamarajanagar | 1840.384 | 12.16093 | 77.22528 | Entire village  |
| 24 | Kothanur                    | Kollegal  | Chamarajanagar | 2242.177 | 12.20974 | 77.24476 | Entire village  |
| 25 | Chikkayalur                 | Kollegal  | Chamarajanagar | 1927.304 | 12.22768 | 77.28321 | Entire village  |
| 26 | Palayam                     | Kollegal  | Chamarajanagar | 587.582  | 12.18136 | 77.17455 | Partial village |
| 27 | Uganiyam                    | Kollegal  | Chamarajanagar | 781.164  | 12.20374 | 77.16756 | Partial village |
| 28 | Sattegalam                  | Kollegal  | Chamarajanagar | 6667.284 | 12.24123 | 77.17468 | Partial village |
| 29 | Shivanasamudra              | Malavalli | Mandya         | 219.950  | 12.27808 | 77.16431 | Partial village |
| 30 | Belakavadi                  | Malavalli | Mandya         | 166.148  | 12.28813 | 77.15528 | Partial village |
| 31 | Gagana Chukki               | Malavalli | Mandya         | 759.157  | 12.29953 | 77.13748 | Partial village |
| 32 | Hosahalli                   | Malavalli | Mandya         | 218.731  | 12.28666 | 77.13455 | Entire village  |
| 33 | Manchanahalli               | Malavalli | Mandya         | 476.940  | 12.3269  | 77.1081  | Partial village |
| 34 | Hebbani                     | Malavalli | Mandya         | 1010.786 | 12.3307  | 77.12226 | Entire village  |
| 35 | Netkal                      | Malavalli | Mandya         | 602.530  | 12.34313 | 77.14678 | Entire village  |
| 36 | Dabbahalli                  | Malavalli | Mandya         | 538.086  | 12.36923 | 77.14578 | Entire village  |
| 37 | Dhanagur                    | Malavalli | Mandya         | 1080.435 | 12.38683 | 77.15798 | Entire village  |

|    |                    |            |           |          |          |          |                 |
|----|--------------------|------------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 38 | Halasahalli        | Malavalli  | Mandya    | 287.390  | 12.37488 | 77.19531 | Entire village  |
| 39 | Ganalu             | Malavalli  | Mandya    | 1254.601 | 12.37283 | 77.21118 | Entire village  |
| 40 | Byadarahalli       | Malavalli  | Mandya    | 433.241  | 12.37933 | 77.22508 | Entire village  |
| 41 | Doddayelachagere   | Malavalli  | Mandya    | 114.274  | 12.39388 | 77.2189  | Entire village  |
| 42 | Chikkayelachagere  | Malavalli  | Mandya    | 167.511  | 12.40603 | 77.22288 | Entire village  |
| 43 | Shivanahalli       | Malavalli  | Mandya    | 72.029   | 12.41703 | 77.22692 | Entire village  |
| 44 | Hagadur            | Malavalli  | Mandya    | 213.894  | 12.42151 | 77.23468 | Entire village  |
| 45 | Hosapetebasvapura  | Malavalli  | Mandya    | 146.876  | 12.42183 | 77.24648 | Partial village |
| 46 | Gundapura          | Malavalli  | Mandya    | 268.170  | 12.42373 | 77.25668 | Partial village |
| 47 | Nandipura          | Malavalli  | Mandya    | 266.820  | 12.41913 | 77.26428 | Partial village |
| 48 | Kempaianadoddi     | Malavalli  | Mandya    | 217.966  | 12.41888 | 77.27051 | Partial village |
| 49 | Deveerahalli       | Malavalli  | Mandya    | 197.502  | 12.42847 | 77.27837 | Partial village |
| 50 | Harihara           | Kanakapura | Ramanagar | 67.694   | 12.39433 | 77.28968 | 100 meters      |
| 51 | Boohalli           | Kanakapura | Ramanagar | 104.659  | 12.39447 | 77.31232 | 100 meters      |
| 52 | Doonthur           | Kanakapura | Ramanagar | 72.709   | 12.40373 | 77.33688 | 100 meters      |
| 53 | Chikkamudude       | Kanakapura | Ramanagar | 27.051   | 12.41071 | 77.34729 | 100 meters      |
| 54 | Nayakanahalli      | Kanakapura | Ramanagar | 63.557   | 12.41248 | 77.3645  | 100 meters      |
| 55 | Alahalli           | Kanakapura | Ramanagar | 107.797  | 12.40043 | 77.37878 | 100 meters      |
| 56 | Uyyamballi         | Kanakapura | Ramanagar | 101.915  | 12.37773 | 77.39268 | 100 meters      |
| 57 | Helegehalli        | Kanakapura | Ramanagar | 65.422   | 12.35791 | 77.40112 | 100 meters      |
| 58 | Haroshivanahalli   | Kanakapura | Ramanagar | 56.215   | 12.34693 | 77.41528 | 100 meters      |
| 59 | Bennagodu          | Kanakapura | Ramanagar | 75.494   | 12.33893 | 77.43011 | 100 meters      |
| 60 | Purasagondanahalli | Kanakapura | Ramanagar | 122.208  | 12.35533 | 77.43868 | 100 meters      |
| 61 | Nallahalli         | Kanakapura | Ramanagar | 12.713   | 12.37628 | 77.43549 | 100 meters      |
| 62 | Madarahalli        | Kanakapura | Ramanagar | 2.360    | 12.37408 | 77.44012 | 100 meters      |
| 63 | Mullahalli         | Kanakapura | Ramanagar | 55.989   | 12.36753 | 77.44608 | 100 meters      |
| 64 | Gollahalli         | Kanakapura | Ramanagar | 98.641   | 12.35211 | 77.45673 | 100 meters      |
| 65 | Arekoppa           | Kanakapura | Ramanagar | 185.806  | 12.33289 | 77.47852 | 100 meters      |
| 66 | Kottekoppa         | Kanakapura | Ramanagar | 258.279  | 12.36924 | 77.49096 | 100 meters      |
| 67 | Halanatha          | Kanakapura | Ramanagar | 392.611  | 12.37973 | 77.51528 | 100 meters      |

|               |                        |            |           |                 |          |          |            |
|---------------|------------------------|------------|-----------|-----------------|----------|----------|------------|
| 68            | Kudigalani             | Kanakapura | Ramanagar | 58.536          | 12.36833 | 77.52568 | 100 meters |
| 69            | Guddeveerana hosahalli | Kanakapura | Ramanagar | 82.467          | 12.35193 | 77.53229 | 100 meters |
| 70            | Banimkodu              | Kanakapura | Ramanagar | 468.794         | 12.33868 | 77.56171 | 100 meters |
| 71            | Chikkamukodlu          | Kanakapura | Ramanagar | 389.684         | 12.35301 | 77.58365 | 100 meters |
| 72            | Hunasanahalli          | Kanakapura | Ramanagar | 252.953         | 12.36737 | 77.60758 | 100 meters |
| <b>Total:</b> |                        |            |           | <b>45945.65</b> |          |          |            |


**Enclosure villages within the Cauvery Wildlife Sanctuary eco-sensitive zone.**

| Map id | Name of the enclosure | Taluk      | District   | Extent (ha) | Latitude | Longitude | Remarks        |
|--------|-----------------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|----------------|
| 73     | Honniganahalli        | Kanakapura | Ramanagara | 162.806     | 12.32352 | 77.55056  | Entire village |
| 74     | Muggur                | Kanakapura | Ramanagara | 250.138     | 12.31255 | 77.52161  | Entire village |
| 75     | Madivala              | Kanakapura | Ramanagara | 38.434      | 12.29122 | 77.47448  | Entire village |
| 76     | Kongevadi             | Kanakapura | Ramanagara | 33.668      | 12.29295 | 77.44184  | Entire village |
| 77     | Sangam                | Kanakapura | Ramanagara | 52.749      | 12.28915 | 77.42918  | Entire village |
| 78     | Bommasandra           | Kanakapura | Ramanagara | 22.129      | 12.28596 | 77.41129  | Entire village |
| 79     | Hegganur              | Kanakapura | Ramanagara | 696.946     | 12.32977 | 77.3962   | Entire village |
| 80     | Veerasandra           | Kanakapura | Ramanagara | 39.422      | 12.31569 | 77.37837  | Entire village |
| 81     | Hoolya                | Kanakapura | Ramanagara | 80.839      | 12.35327 | 77.3623   | Entire village |
| 82     | Chilandvadi           | Kanakapura | Ramanagara | 85.728      | 12.35698 | 77.37306  | Entire village |
| 83     | Makkalanda            | Kanakapura | Ramanagara | 290.339     | 12.40076 | 77.34663  | Entire village |
| 84     | Hyra                  | Kanakapura | Ramanagara | 1.890       | 12.28325 | 77.35651  | Entire village |
| 85     | Muthathi              | Malavalli  | Mandya     | 20.052      | 12.30058 | 77.30874  | Entire village |
| 86     | Bannane               | Malavalli  | Mandya     | 14.862      | 12.3148  | 77.30062  | Entire village |
| 87     | Konagundi             | Malavalli  | Mandya     | 26.840      | 12.35315 | 77.30336  | Entire village |
| 88     | Soligere              | Malavalli  | Mandya     | 59.545      | 12.35346 | 77.2904   | Entire village |
| 89     | Sambapura             | Malavalli  | Mandya     | 16.084      | 12.3653  | 77.29361  | Entire village |
| 90     | Kurimande             | Malavalli  | Mandya     | 3.116       | 12.37663 | 77.3003   | Entire village |
| 91     | Basavanahalli         | Malavalli  | Mandya     | 154.574     | 12.38558 | 77.26606  | Entire village |
| 92     | Solaba                | Malavalli  | Mandya     | 8.972       | 12.37821 | 77.24497  | Entire village |
| 93     | Muthalakatte          | Malavalli  | Mandya     | 1.336       | 12.39494 | 77.23919  | Entire village |
| 94     | Hosadoddi             | Malavalli  | Mandya     | 77.289      | 12.36389 | 77.24329  | Entire village |

|               |                    |           |                |                 |          |          |                |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|-----------------|----------|----------|----------------|
| 95            | Dalanakatte        | Malavalli | Mandya         | 44.649          | 12.35388 | 77.24329 | Entire village |
| 96            | Basavegaudana dodd | Malavalli | Mandya         | 28.060          | 12.34692 | 77.24652 | Entire village |
| 97            | Talavadi           | Malavalli | Mandya         | 39.793          | 12.34253 | 77.2453  | Entire village |
| 98            | Shimshapura        | Malavalli | Mandya         | 31.545          | 12.33401 | 77.18111 | Entire village |
| 99            | Ganigamangala      | Kollegal  | Chamarajanagar | 255.731         | 12.24363 | 77.33889 | Entire village |
| 100           | Arabigere          | Kollegal  | Chamarajanagar | 373.756         | 12.13402 | 77.46377 | Entire village |
| 101           | Dantalli           | Kollegal  | Chamarajanagar | 216.859         | 12.15247 | 77.54329 | Entire village |
| 102           | Panchalanai        | Kollegal  | Chamarajanagar | 26.187          | 12.14399 | 77.67307 | Entire village |
| 103           | Bajjalani          | Kollegal  | Chamarajanagar | 15.487          | 12.12857 | 77.66185 | Entire village |
| 104           | Alambadi           | Kollegal  | Chamarajanagar | 137.129         | 12.14439 | 77.72776 | Entire village |
| 105           | Gopinattam         | Kollegal  | Chamarajanagar | 470.293         | 12.04482 | 77.69358 | Entire village |
| 106           | Nagamalai          | Kollegal  | Chamarajanagar | 34.628          | 12.02909 | 77.64667 | Entire village |
| 107           | Parasalnattam      | Kollegal  | Chamarajanagar | 67.196          | 12.01103 | 77.65894 | Entire village |
| <b>Total:</b> |                    |           |                | <b>3879.071</b> |          |          |                |

**ANNEXURE-III**

Map showing the Eco-Sensitive Zone of Cauvery Wildlife Sanctuary





**ANNEXURE-III A****Key locations (Global Positioning System) on the Cauvery Wildlife Sanctuary boundary.**

| Map id | Latitude | Longitude |
|--------|----------|-----------|
| 1      | 12.11202 | 77.50638  |
| 2      | 12.10195 | 77.45954  |
| 3      | 12.08249 | 77.43520  |
| 4      | 12.06025 | 77.39549  |
| 5      | 12.05642 | 77.36338  |
| 6      | 12.12628 | 77.39438  |
| 7      | 12.18192 | 77.42153  |
| 8      | 12.22787 | 77.40730  |
| 9      | 12.18950 | 77.37330  |
| 10     | 12.16199 | 77.31700  |
| 11     | 12.14257 | 77.27694  |
| 12     | 12.16763 | 77.23851  |
| 13     | 12.21019 | 77.31009  |
| 14     | 12.27176 | 77.28592  |
| 15     | 12.25254 | 77.27455  |
| 16     | 12.23123 | 77.25473  |
| 17     | 12.18806 | 77.20879  |
| 18     | 12.21670 | 77.19309  |
| 19     | 12.24934 | 77.23199  |
| 20     | 12.30981 | 77.18031  |
| 21     | 12.32291 | 77.17098  |
| 22     | 12.35324 | 77.17371  |
| 23     | 12.33544 | 77.19999  |
| 24     | 12.36405 | 77.23043  |
| 25     | 12.39069 | 77.23963  |
| 26     | 12.39105 | 77.29108  |
| 27     | 12.39210 | 77.31375  |
| 28     | 12.40983 | 77.36398  |
| 29     | 12.35275 | 77.40098  |
| 30     | 12.33794 | 77.42515  |
| 31     | 12.33257 | 77.43839  |
| 32     | 12.37383 | 77.43420  |
| 33     | 12.32568 | 77.47158  |
| 34     | 12.37052 | 77.51642  |
| 35     | 12.34930 | 77.53082  |
| 36     | 12.36545 | 77.61543  |
| 37     | 12.33688 | 77.58315  |
| 38     | 12.30450 | 77.56018  |
| 39     | 12.27522 | 77.50903  |
| 40     | 12.26205 | 77.47819  |
| 41     | 12.20839 | 77.47358  |
| 42     | 12.19551 | 77.56443  |
| 43     | 12.19142 | 77.67851  |
| 44     | 12.11366 | 77.77789  |
| 45     | 12.04650 | 77.71975  |
| 46     | 11.94836 | 77.66998  |
| 47     | 11.97683 | 77.63128  |
| 48     | 12.03429 | 77.62975  |
| 49     | 12.10092 | 77.66496  |
| 50     | 12.15137 | 77.59992  |
| 51     | 12.13963 | 77.57213  |
| 52     | 12.12242 | 77.54837  |
| 53     | 12.14773 | 77.50337  |

**Key locations (Global Positioning System) on the Eco Sensitive Zone boundary**

| <b>Map id</b> | <b>Latitude</b> | <b>Longitude</b> |
|---------------|-----------------|------------------|
| 1             | 12.11202        | 77.50638         |
| 2             | 12.10195        | 77.45954         |
| 3             | 12.08249        | 77.43520         |
| 4             | 12.06025        | 77.39549         |
| 5             | 12.05642        | 77.36338         |
| 6             | 12.12628        | 77.39438         |
| 7             | 12.18192        | 77.42153         |
| 8             | 12.22787        | 77.40730         |
| 9             | 12.18950        | 77.37330         |
| 10            | 12.16199        | 77.31700         |
| 11            | 12.14257        | 77.27694         |
| 12            | 12.16763        | 77.23851         |
| 13            | 12.21019        | 77.31009         |
| 14            | 12.27176        | 77.28592         |
| 15            | 12.25254        | 77.27455         |
| 16            | 12.23123        | 77.25473         |
| 17            | 12.18806        | 77.20879         |
| 18            | 12.21670        | 77.19309         |
| 19            | 12.24934        | 77.23199         |
| 20            | 12.30981        | 77.18031         |
| 21            | 12.32291        | 77.17098         |
| 22            | 12.35324        | 77.17371         |
| 23            | 12.33544        | 77.19999         |
| 24            | 12.36405        | 77.23043         |
| 25            | 12.39069        | 77.23963         |
| 26            | 12.39105        | 77.29108         |
| 27            | 12.39210        | 77.31375         |
| 28            | 12.40983        | 77.36398         |
| 29            | 12.35275        | 77.40098         |
| 30            | 12.33794        | 77.42515         |
| 31            | 12.33257        | 77.43839         |
| 32            | 12.37383        | 77.43420         |
| 33            | 12.32568        | 77.47158         |
| 34            | 12.37052        | 77.51642         |
| 35            | 12.34930        | 77.53082         |
| 36            | 12.36545        | 77.61543         |
| 37            | 12.33688        | 77.58315         |
| 38            | 12.30450        | 77.56018         |
| 39            | 12.27522        | 77.50903         |
| 40            | 12.26205        | 77.47819         |
| 41            | 12.20839        | 77.47358         |
| 42            | 12.19551        | 77.56443         |
| 43            | 12.19142        | 77.67851         |
| 44            | 12.11366        | 77.77789         |
| 45            | 12.04650        | 77.71975         |
| 46            | 11.94836        | 77.66998         |
| 47            | 11.97683        | 77.63128         |
| 48            | 12.03429        | 77.62975         |
| 49            | 12.10092        | 77.66496         |
| 50            | 12.15137        | 77.59992         |
| 51            | 12.13963        | 77.57213         |
| 52            | 12.12242        | 77.54837         |
| 53            | 12.14773        | 77.50337         |

**ANNEXURE-IV****Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).  
Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006  
Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.  
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.